**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**
**बिहार सरकार**

हर घर नल का जल

बिहार सरकार

# 'पेयजलापूर्ति वितरण प्रणाली में मोटर पम्प लगाना वर्जित'

राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को समान रूप से निरंतर गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। आत्मनिर्भर बिहार के निश्चय-2 में सतत् एवं निरंतर जलापूर्ति व्यवस्था हेतू जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक रखरखाव एवं अनुरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित

**'हर घर नल का जल' अंतर्गत दिए जा रहे नल के कनेक्शन हेतु जलापूर्ति वितरण प्रणाली (पाईप) में मोटर पम्प का उपयोग किया जाना वर्जित है। ऐसा किये जाने पर निम्नवत् प्रावधान किये गये हैं**

**मोटर पम्प तुरंत हटाने का नोटिस दिया जायेगा।**
**नोटिस के बाद भी उपभोक्ता द्वारा पम्प नहीं हटाये जाने पर सम्बंधित कनीय अभियंता द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से 5000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए सम्पत्ति (मोटर पम्प) को जब्त कर लिया जाएगा।**

**पुन: इस कार्य को दोहराये जाने की स्थिति में सम्बंधित लोक स्वास्थ्य प्रशाखा के कनीय अभियंता द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।**

**यदि दोषी उपभोक्ता के द्वारा जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो सर्टिफिकेट वाद दायर करते हुए जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी।**

**अपनी शिकायत दर्ज करें**

**जलापूर्ति संबंधित शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर (1800-123-1121/1800-345-1121/155367) या व्हाट्सएप नंबर (8544429024/8544429082) का उपयोग करें।**

**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जनहित में जारी**